

वादी की ओर विनोद कुमार पारीक प्रतिवादीगण की ओर से गुरमोहन सिंह अधिवक्ता की उपस्थिति में आज दिनांक 07/11/21 को कपिल यादव आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर निम्नांकित भूमि का वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 निम्नानुसार खातेदार घोषित करते हुए खाता तकसीम किया जाता है।

चक 21 एचएमएच बी के पत्थर नम्बर 105/286 (21) किला नम्बर 1/0.190, 2, 3, 8, 9, 10/0.190, 11/0.190, 12 ता 17, 20/0.190, 24, 25 कुल 3.796 हैक. में 1/2 हिस्सा वादीगण का 1/2  
चक 4 एसएनएम के पत्थर नम्बर 106/280 (30) किला नम्बर 19, 20, 21/0.190, 22/0.190 व पत्थर नम्बर 106/281 (32) किला नम्बर 1/0.190, 2/0.190, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 पत्थर नम्बर 105/281 (33) किला नम्बर 5/0.190, 6, 15, 16 व पत्थर नम्बर 106/282(39) किला नम्बर 1, 10/0.127 चक पत्थर 14 एसएसडब्ल्यू के पत्थर नम्बर 135/290 (39) किला नम्बर 3 ता 5 कुल 6.137 हैक कृषि भूमि के प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व चक 21 एचएमएच बी के पत्थर नम्बर 107/284 (5) किला नम्बर 3, 7, 8, 13, 14 कुल 1.265 हैक. में .759 हैक व इसी चक के पत्थर नम्बर 106/283 (2) किला नम्बर 3/2/0.126, 4, 5, 6, 7, 8/2/0.127 इसी चक के पत्थर नम्बर 105/283 (1) किला नम्बर 1/0.190, 2 ता 9, 10/0.190 व इसी चक के पत्थर नम्बर 106/283 (2) किला नम्बर 1, 2, 3/1/0.127, 8/1/0.126, 9, 10 व इसी चक के पत्थर नम्बर 105/286 (21) के किला नम्बर 1/0.190, 2, 3, 8, 9, 10/0.190, 12 ता 17, 20/0.190, 24, 25 कुल 3.796 हैक. में 1/2 हिस्सा कुल 7.591 हैक. के प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के खातेदार घोषित किये जाते हैं।

तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भारमुक्त होने की दशा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/विरानी/गैरमुमकिन ) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावे। खर्चा फरीकन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 07/11/21 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गई।

(कपिल यादव)

उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर  
हनुमानगढ़।

प्रमाणित प्रतिलिपि

रीडर  
उपखण्ड अधिकारी  
हनुमानगढ़